


3.4.3 Number of extension and outreach Programmes conducted by the institution including those through NSS/ NCC, Government and Government recognised
 विगतपु पञ्चसु वर्षेषु राष्ट्रियसेवायोजनायाः/ राष्ट्रियसैनिकच्छात्रसमूहस्य/ सर्वकारीयसंस्थानां सर्वकारैः मानितनिकायानां च माहाय्येन आयोजितानां विस्तारकार्यक्रमाणां
 3.4.3.1: Number of extension and outreach Programmes conducted by the institution including those through NSS/ NCC, Government and Government recognised
 विगतपु पञ्चसु वर्षेषु राष्ट्रियसेवायोजनायाः/ राष्ट्रियसैनिकच्छात्रसमूहस्य/ सर्वकारीयसंस्थानां सर्वकारैः मानितनिकायानां च माहाय्येन आयोजितानां
 विस्तारकार्यक्रमाणां वहिर्मुखकार्यक्रमाणां अपि च संस्कृतसम्भाषणवर्मा/ शिविर/ योगवर्गणां वार्षिकी सङ्ख्या।

3.4.4 Percentage of students participating in extension activities at 3.4.3 above during last five years (10)
 विगतपु पञ्चसु वर्षेषु उपरि ३.४.३ इत्यत्र उक्तेषु विस्तारगतिविधिषु भागग्राहिणां छात्राणां प्रतिशतं मानम्।

3.4.4.1: Total number of students who participate in extension activities listed at 3.4.3 above year-wise during the last five years
 विगतपु पञ्चसु वर्षेषु उपरि ३.४.३ इत्यत्र उक्तेषु विस्तारगतिविधिषु भागग्राहिणां छात्राणां वार्षिकी सम्पूर्णा सङ्ख्या।

Name of the activity	Organising unit/ agency/ collaborating agency	Name of the scheme	Year of the activity	Number of students participated in such activities
RANGON KA TYOHAR HOLL-LABH YA HANI	SARVODAY AHINSA	UTSAV	2022-23	200
PATAKHON SE LABH YA HANI	SARVODAY AHINSA	DIWALI UTSAV	2022-23	175
BAZAR BHAROSE SEHAT	SARVODAY AHINSA	HEALTH	2022-23	180
SEMINAR	TODARIMAL SMARAK	SPEECH	2022-23	225
PATAKHON SE LABH YA HANI	SARVODAY AHINSA	DIWALI UTSAV	2021-22	200
SEMINAR	TODARIMAL SMARAK	SPEECH	2021-22	170
ONLINE WEBINAR	JAIN PATHSHALA	WEBINAR	2021-22	160
PATANG NA UDAYEN	SARVODAY AHINSA	MAKAR SANKSRIT	2020-21	200
ONLINE WEBINAR	SHIKHAR SHRUT SAMVARDHIN SAMITI	WEBINAR	2019-20	225
PATAKHON SE LABH YA HANI	SARVODAY AHINSA	DIWALI UTSAV	2018-19	200
HOLI KE RANG APNON KE SANG	SARVODAY AHINSA	HOLI	2018-19	225


 प्राचार्य

श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
 जैन भवन रोड, मीरगांव, जयपुर-20 (राज.)



Reg - 522/ Jaipur/2017-18

जैन पाठशाला समिति

164/267 हल्दीघाटी मार्ग प्रतापनगर, जयपुर-302033, 0141-3567401, 8955872717, 9414769937
Website : www.jainpathshala.com E-Mail jainpathshalajpr@gmail.com

अमितजैन
अध्यक्ष

डॉ. बी.सी. जैन
निदेशक, मंत्री 9414769937


गौरव जैन
कोषाध्यक्ष

श्रीमान प्राचार्य महोदय,
श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
सांगानेर जयपुर

विषय- MOU की स्वीकृति हेतु।
महोदय,

आपके महाविद्यालय से हमें MOU के सन्दर्भ में पत्र प्राप्त हुआ। हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि आप हमारी संस्था के साथ विद्यार्थियों के विकास हेतु MOU करना चाहते हैं। निश्चय ही हम और आप मिलकर विद्यार्थियों की साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे।

अतएव हमारी संस्था आपके महाविद्यालय के साथ करने MOU की स्वीकृति प्रदान करती है।


भवदीय

डॉ. भागचन्द जैन

मंत्री- जैन पाठशाला समिति जयपुर

जैन पाठशाला
164/267 हल्दी घाटी मार्ग प्रतापनगर जयपुर

श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
सांगानेर जयपुर (राज.)
एवं
जैन पाठशाला, जयपुर (राज.)
के मध्य शिक्षण, शोध एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में
समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding)

यह समझौता ज्ञापन श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर जयपुर राजस्थान (प्रथम पक्ष) एवं जैन पाठशाला, जयपुर राजस्थान (द्वितीय पक्ष) के मध्य आज दिनांक 30/07/2020 को निष्पादित किया जा रहा है।

श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर (जयपुर) राजस्थान का उद्देश्य भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों के सगागत शिक्षार्थियों को स्नातक (शास्त्री) एवं परा स्नातक (आचार्य) आदि का अध्ययन करा कर देश का सशक्त नागरिक तैयार करना, प्राच्य साहित्य का अध्यापन कराना, संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी एवं जैनदर्शन इत्यादि विषयों के विद्वान तैयार करना, परम्परागत संस्कृत का आधुनिक संस्कृत के साथ अध्यापन कराना, विद्यार्थियों को शोध हेतु प्रेरित करना एवं शोध प्रशिक्षक उपलब्ध कराना, भारत में उपलब्ध जैन विद्या सम्बन्धित साग्री का संकलन, शोध कार्य, भारत और विदेशों में प्रचलित जैन विद्या का तुलनात्मक अध्ययन, उद्देश्यों के अनुरूप परिचर्चा, संगोष्ठी तथा जैन धर्म से सम्बन्धित ग्रन्थों, पांडुलिपियों आदि का पुस्तकालय स्थापित करना इत्यादि। संख्या के बारे में अधिक जानकारी www.jainsanskritcollege.com के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

द्वितीय जैन पाठशाला, जयपुर राजस्थान है, जो कि जिनवाणी के प्रचार-प्रसार के लिए तटस्थ है तथा इसके माध्यम से जिनवाणी के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न कार्यक्रम देश भर में आयोजित किये जाते हैं तथा इसके माध्यम से जयपुर सहित देश के विभिन्न प्रान्तों में पाठशालाओं का आयोजन किया जाता है।

उपरोक्त दोनों पक्षकार शैक्षिक, शोध एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों आदि हेतु इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से निम्नवत नियमों एवं शर्तों हेतु सहमत हैं।

अनुच्छेद 1 : समझौते का उद्देश्य

- जैन धर्म, संस्कृति तथा इससे सम्बन्धित विभिन्न सामाजिक कार्यों का प्रचार-प्रसार करना।
- आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर जैन धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए प्रयास करना।
- जैन पाठशाला समिति के अन्तर्गत सम्पन्न की जा रही कक्षाओं में श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के अध्यापकों तथा छात्रों का अध्यापन में सहयोग लेना।
- जैन पाठशाला के विद्यार्थियों को श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में यथा समय सेमिनार तथा शिविरों में आने के लिए प्रेरित करना।

- विद्यार्थियों को आगम पाठ / कण्ठ पाठ के लिए प्रेरित करना और समय-समय पर उन्हें पुरस्कार प्रदान करना।

अनुच्छेद 2 : समझौता की अवधि

यह ज्ञापन दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि से दिनांक 30/06/2020 तक प्रभावी रहेगा। यदि इस समझौता ज्ञापन को बिना किसी कारण के समाप्त किया जाना है, तो किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को तीन (03) माह पूर्व नोटिस देना होगा। समझौता समाप्त हो जाने के उपरान्त कोई भी पक्षकार किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

अनुच्छेद 3 : विशेष प्रावधान

दोनों पक्ष एक-दूसरे की शिक्षा पर उपयोगी सूचनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध कार्य एवं ऐसी अन्य गतिविधियों का आदान-प्रदान करेंगे। दोनों पक्ष सुचारु एवं कुशल कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करेंगे। दोनों पक्ष आपसी परामर्श के लिए उपलब्ध होने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे तथा उचित रूप से अनुरोध किये जाने पर आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।

इस समझौता ज्ञापन में कोई भी संशोधन लिखित रूप में तथा परस्पर सहमत होने पर ही किया जाएगा। सभी विवाद को इस ज्ञापन की व्याख्या तथा क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वालों को आपसी सहमति से बातचीत के माध्यम से सुलझाया जायेगा।

दोनों पक्षकार एक-दूसरे के कुशल संचार निरन्तर स्थापित करते रहेंगे ताकि समझौते का क्रियान्वयन प्रभावी व सुनिश्चित हो सके।

यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में स्थापित कानून के अधीन होगा।

अनुच्छेद 4 : समन्वय

- दोनों पक्षकारों की ओर से समय-समय पर कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी तथा दोनों संस्थानों के मध्य सहयोग को मजबूत करने के तरीकों की पहचान की जाएगी।
- विवादों का निपटारा : सम्बन्धित पक्षों के मध्य कोई मतभेद या विवाद, जो इस समझौता ज्ञापन के प्रावधान की व्याख्या या लागू होने से सम्बन्धित है, प्रथमतः आपसी परामर्श के उच्च अधिकारियों को संदर्भित किया जायेगा। दोनों पक्षकारों के उच्चाधिकारियों का यह संयुक्त उत्तरदायित्व होगा कि वह स्वतंत्रता, आपसी सम्मान की भावना से विवाद को संयुक्त रूप से हल करेंगे।

परिशोधन, बदलाव व संशोधन :

कोई भी पक्षकार लिखित रूप में इस समझौता ज्ञापन का परिवर्धन, परिवर्तन व संशोधन करने का अनुरोध कर सकता है। इस प्रकार के किसी भी परिवर्धन, परिवर्तन व संशोधन पर सहमति पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में होगी और इस समझौता ज्ञापन का अंग होगा। ऐसा परिवर्धन, परिवर्तन एवं संशोधन उस तिथि से लागू होगा जो पक्षकारों द्वारा निर्धारित की जायेगी।

- श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर, जयपुर राजस्थान एवं जैन पाठशाला, जयपुर राजस्थान के मध्य नवीन डिजिटल उपकरण के माध्यम से शिक्षण, अध्ययन शोध, तुलनात्मक अध्ययन इत्यादि के लिए सहायता मिलेगी।
- समझौता दोनों संस्थानों के नियमित छात्रों के लिए उपलब्ध होगा।
- दोनों पक्षकार शोध के लिए जैनधर्म, संस्कृति से सम्बन्धित भाषा साहित्य, भाषा प्रौद्योगिकी, साहित्य और इतिहास, अनुवाद प्रौद्योगिकी, तुलनात्मक अध्ययन, प्रवर्षी साहित्य को अन्तः विषय अध्ययन के रूप में प्रयोग करेंगे।
- परिवर्तनात्मक परियोजना दोनों पक्षकारों के सहयोग से की जायेगी।
- सभी शैक्षणिक, अध्ययन व शोध आदान-प्रदान कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेंगे।
- यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षकारों की स्वयं की इच्छा से, दोनों की आपसी सहमति से बिना किसी दबाव व प्रभाव के दोनों पक्षकारों एवं उनके गवाहों की उपस्थिति में किया गया है।
- यह समझौता ज्ञापन दो समान प्रतियों में तैयार किया गया है, प्रत्येक पक्षकार सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक मूल प्रति धारण करेंगे। यह समझौते का दस्तावेज आज दिनांक को निम्न गवाहों की उपस्थिति में संपादित किया गया।



प्राचार्य

श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
जैन नर्सिंग रोड, सांगानेर, जयपुर-301001 (राज.)
(डा. अनिल कुमार जैन)

प्राचार्य

श्री दि. जै. आ. संस्कृत महाविद्यालय
सांगानेर, जयपुर (राजस्थान)



जैन पाठशाला

जयपुर राजस्थान
(डा. भागचन्द जैन)

मंत्री

जैन पाठशाला, जयपुर (राज.)

गवाह : डा. कृष्णदेव शुक्ल

गवाह : अनिल जैन

हस्ताक्षर 

हस्ताक्षर 

Reg - 522/ Jaipur/2017-18

शिखर श्रुत संवर्धन समिति

164/267 हल्दीघाटी मार्ग प्रतापनगर, जयपुर-302033, 0141-2796595, 8955872717, 9414769937
Website : www.jainpathshala.com E-Mail jainpathshalajpr@gmail.com

संजय सेठी
अध्यक्ष

डॉ. बी.सी. जैन
मंत्री

प्रज्ञा जैन
कोषाध्यक्ष

श्रीमान प्राचार्य महोदय,
श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
सांगानेर जयपुर

विषय- MOU की स्वीकृति हेतु।
महोदय,

आपके महाविद्यालय से हमें MOU के सन्दर्भ में पत्र प्राप्त हुआ। हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि आप हमारी संस्था के साथ विद्यार्थियों के विकास हेतु MOU करना चाहते हैं। निश्चय ही हम और आप मिलकर विद्यार्थियों की साहित्यिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे।

अतएव हमारी संस्था आपके महाविद्यालय के साथ करने MOU की स्वीकृति प्रदान करती है।

भवदीय

प्रज्ञा जैन

कोषाध्यक्ष-शिखर श्रुत संवर्धन समिति

जयपुर

शिखर श्रुत संवर्धन समिति
164/267, हल्दीघाटी मार्ग
प्रतापनगर, जयपुर (राज.)

श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
सांगानेर जयपुर (राज.)
एवं

शिखर श्रुत संवर्धन समिति, जयपुर (राज.)
के मध्य शिक्षण, शोध एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में
समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding)

यह समझौता ज्ञापन श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर जयपुर राजस्थान (प्रथम पक्ष) एवं शिखर श्रुत संवर्धन समिति, जयपुर राजस्थान (द्वितीय पक्ष) के मध्य आज दिनांक 10/08/2020 को निष्पादित किया जा रहा है।

श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर (जयपुर) राजस्थान का उद्देश्य भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों के समागत शिक्षार्थियों को स्नातक (शास्त्री) एवं परा स्नातक (आचार्य) आदि का अध्ययन करा कर देश का सशक्त नागरिक तैयार करना, प्राच्य साहित्य का अध्यापन कराना, संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी एवं जैनदर्शन इत्यादि विषयों के विद्वान तैयार करना, परम्परागत संस्कृत का आधुनिक संस्कृत के साथ अध्यापन कराना, विद्यार्थियों को शोध हेतु प्रेरित करना एवं शोध प्रशिक्षक उपलब्ध कराना, भारत में उपलब्ध जैन विद्या सम्बन्धित सामग्री का संकलन, शोध कार्य, भारत और विदेशों में प्रचलित जैन विद्या का तुलनात्मक अध्ययन, उद्देश्यों के अनुरूप परिचर्चा, संगोष्ठी तथा जैन धर्म से सम्बन्धित ग्रन्थों, पाण्डुलिपियों आदि का पुस्तकालय स्थापित करना इत्यादि। संस्थान के बारे में अधिक जानकारी www.jainsanskritcollege.com के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

द्वितीय पक्ष शिखर श्रुत संवर्धन समिति, जयपुर राजस्थान है, जो कि जिनवाणी के प्रचार-प्रसार के लिए तटस्थ है तथा इसके माध्यम से जिनवाणी के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न कार्यक्रम देश भर में आयोजित किये जाते हैं।

उपरोक्त दोनों पक्षकार शैक्षिक, शोध एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों आदि हेतु इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से निम्नवत नियमों एवं शर्तों हेतु सहमत हैं।

अनुच्छेद 1 : समझौते का उद्देश्य

- शिखर श्रुत संवर्धन समिति, जयपुर (राज.) के साथ मिलकर पाण्डुलिपियों के संरक्षण का कार्य करना।
- अप्रकाशित ग्रन्थों का संयुक्त रूप से प्रकाशन करना।
- प्राकृत पाली अपभ्रंश में उपलब्ध साहित्य को आधुनिक भाषाओं में रूपान्तरित करना।
- जिनवाणी के प्रचार-प्रसार हेतु साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- विद्यार्थियों को आगम पाठ / कण्ठ पाठ के लिए प्रेरित करना और समय-समय पर उन्हें पुरस्कार प्रदान करना।

अनुच्छेद 2 : समझौता की अवधि

यह ज्ञापन दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि से दिनांक 15/05/2021 तक प्रभावी रहेगा। यदि इस समझौता ज्ञापन को बिना किसी कारण के समाप्त किया जाना है, तो किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को तीन (03) माह पूर्व नोटिस देना होगा। समझौता समाप्त हो जाने के उपरान्त कोई भी पक्षकार किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

अनुच्छेद 3 : विशेष प्रावधान

दोनों पक्ष एक-दूसरे की शिक्षा पर उपयोगी सूचनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध कार्य एवं ऐसी अन्य गतिविधियों का आदान-प्रदान करेंगे। दोनों पक्ष सुचारु एवं कुशल कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करेंगे। दोनों पक्ष आपसी परामर्श के लिए उपलब्ध होने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे तथा उचित रूप से अनुरोध किये जाने पर आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।

इस समझौता ज्ञापन में कोई भी संशोधन लिखित रूप में तथा परस्पर सहमत होने पर ही किया जाएगा। सभी विवाद को इस ज्ञापन की व्याख्या तथा क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वालों को आपसी सहमति से बातचीत के माध्यम से सुलझाया जायेगा।

दोनों पक्षकार एक-दूसरे के कुशल संचार निरन्तर स्थापित करते रहेंगे ताकि समझौते का क्रियान्वयन प्रभावी व सुनिश्चित हो सके।

यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में स्थापित कानून के अधीन होगा।

अनुच्छेद 4 : समन्वय

- दोनों पक्षकारों की ओर से समय-समय पर कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी तथा दोनों संस्थानों के मध्य सहयोग को मजबूत करने के तरीकों की पहचान की जाएगी।
- विवादों का निपटारा : सम्बन्धित पक्षों के मध्य कोई मतभेद या विवाद, जो इस समझौता ज्ञापन के प्रावधान की व्याख्या या लागू होने से सम्बन्धित है, प्रथमतः आपसी परामर्श के उच्च अधिकारियों को संदर्भित किया जायेगा। दोनों पक्षकारों के उच्चाधिकारियों का यह संयुक्त उत्तरदायित्व होगा कि वह स्वतंत्रता, आपसी सम्मान की भावना से विवाद को संयुक्त रूप से हल करेंगे।

परिशोधन, बदलाव व संशोधन :

कोई भी पक्षकार लिखित रूप में इस समझौता ज्ञापन का परिवर्धन, परिवर्तन व संशोधन करने का अनुरोध कर सकता है। इस प्रकार के किसी भी परिवर्धन, परिवर्तन व संशोधन पर सहमति पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में होगी और इस समझौता ज्ञापन का अंग होगा। ऐसा परिवर्धन, परिवर्तन एवं संशोधन उस तिथि से लागू होगा जो पक्षकारों द्वारा निर्धारित की जायेगी।

प्राज्ञा :

- श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर, जयपुर राजस्थान एवं शिखर श्रुत संवर्धन समिति, जयपुर राजस्थान के मध्य नवीन डिजीटल उपकरण के माध्यम से शिक्षण, अध्ययन शोध, तुलनात्मक अध्ययन इत्यादि के लिए सहायता मिलेगी।
- समझौता दोनों संस्थानों के नियमित छात्रों के लिए उपलब्ध होगा।
- दोनों पक्षकार शोध के लिए जैनधर्म, संस्कृति से सम्बन्धित भाषा साहित्य, भाषा प्रौद्योगिकी, साहित्य और इतिहास, अनुवाद प्रौद्योगिकी, तुलनात्मक अध्ययन, प्रवासी साहित्य को अन्तः विषय अध्ययन के रूप में प्रयोग करेंगे।
- परिवर्तनात्मक परियोजना दोनों पक्षकारों के सहयोग से की जायेगी।
- सभी शैक्षणिक, अध्ययन व शोध आदान-प्रदान कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेंगे।
- यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षकारों की स्वयं की इच्छा से, दोनों की आपसी सहमति से बिना किसी दबाव व प्रभाव के दोनों पक्षकारों एवं उनके गवाहों की उपस्थिति में किया गया है।
- यह समझौता ज्ञापन दो समान प्रतियों में तैयार किया गया है, प्रत्येक पक्षकार सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक मूल प्रति धारण करेंगे। यह समझौते का दस्तावेज आज दिनांक को निम्न गवाहों की उपस्थिति में संपादित किया गया।


प्राचार्य


श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
जैन नर्सिंग रोड, सांगानेर, जयपुर-29
(डॉ. अनिल कुमार जैन)

प्राचार्य

श्री. दि. जै. आ. संस्कृत महाविद्यालय
सांगानेर, जयपुर (राजस्थान)


शिखर श्रुत संवर्धन समिति
154/267, हल्लीघाटी मार्ग
प्र(प्रज्ञा जैन) जयपुर (राज.)
कोषाध्यक्ष

शिखर श्रुत संवर्धन समिति, जयपुर (राज.)

गवाह : 

गवाह : वर्षा जैन

हस्ताक्षर



हस्ताक्षर



सर्वोदय अहिंसा

बी-180 ए, 2 मंगल मार्ग, बापु नगर, जयपुर - 15
+91 9785 999100, 0141-4044538
E-mail :- sarvodayahinsa@gmail.com



क्रमांक

दिनांक 5/07/2018

श्रीमान् प्राचार्य महोदय,
श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय,
सांगानेर (जयपुर)

विषय : MOU की स्वीकृति हेतु।

महोदय,

आपके महाविद्यालय से हमें MOU के सन्दर्भ में पत्र प्राप्त हुआ।

हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि आप हमारी संस्था के साथ विद्यार्थियों के विकास हेतु MOU करना चाहते हैं। हम दीपावली, होली एवं मकर संक्रांति के अवसर पर विद्यार्थियों के सहयोग पूर्वक सामाजिक कार्य करेंगे।

अतएव हमारी संस्था आपके महाविद्यालय के साथ MOU करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

भवदीय *संजय शास्त्री*
(TRUSTEE)
SARVODAY AHINSA
B-180 MANGAL MARG
BAPU NAGAR, JAIPUR-15
MO. 9509232733

(संजय जैन)

मंत्री

सर्वोदय अहिंसा समिति

श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
सांगानेर जयपुर (राज.)
एवं
सर्वोदय अहिंसा समिति, जयपुर (राज.)
के मध्य शिक्षण, शोध एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में
समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding)

यह समझौता ज्ञापन श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर जयपुर राजस्थान (प्रथम पक्ष) एवं सर्वोदय अहिंसा समिति, जयपुर राजस्थान (द्वितीय पक्ष) के मध्य आज दिनांक 6/08/2018 को निष्पादित किया जा रहा है।

श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर (जयपुर) राजस्थान का उद्देश्य भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों के समागत शिक्षार्थियों को स्नातक (शास्त्री) एवं परा स्नातक (आचार्य) आदि का अध्ययन करा कर देश का सशक्त नागरिक तैयार करना, प्राच्य साहित्य का अध्यापन कराना, संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी एवं जैनदर्शन इत्यादि विषयों के विद्वान तैयार करना, परम्परागत संस्कृत का आधुनिक संस्कृत के साथ अध्यापन कराना, विद्यार्थियों को शोध हेतु प्रेरित करना एवं शोध प्रशिक्षक उपलब्ध कराना, भारत में उपलब्ध जैन विद्या सम्बन्धित सामग्री का संकलन, शोध कार्य, भारत और विदेशों में प्रचलित जैन विद्या का तुलनात्मक अध्ययन, उद्देश्यों के अनुरूप परिचर्चा, संगोष्ठी तथा जैन धर्म से सम्बन्धित ग्रन्थों, पांडुलिपियों आदि का पुस्तकालय स्थापित करना इत्यादि। संस्थान के बारे में अधिक जानकारी www.jainsanskritcollege.com के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

द्वितीय पक्ष सर्वोदय अहिंसा समिति, जयपुर राजस्थान है, इसके माध्यम से देश भर में विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य किये जाते हैं। दीपावली के अवसर पर लोगों को पटाखे न फोडने के लिए जागरूक किया जाता है। इसी प्रकार मकर संक्राति के अवसर पर पक्षियों की रक्षार्थ पतंग न उड़ाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है।

उपरोक्त दोनों पक्षकार शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों आदि हेतु इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से निम्नवत नियमों एवं शर्तों हेतु सहमत हैं।

अनुच्छेद 1 : समझौते का उद्देश्य

- मकर संक्राति के अवसर पर पक्षियों की रक्षार्थ संयुक्त रूप से कैम्प लगाना तथा विभिन्न पोस्टरों के माध्यम से और ऑनलाईन फेसबुक आदि के माध्यम से लोगों को पतंग न उड़ाने के लिए प्रेरित करना।
- पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करना।
- विशिष्ट छात्रों के लिए पुरस्कार प्रदान करना।
- होली के अवसर पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से पानी की होने वाली बर्बादी को रोकने के लिए लोगों को प्रेरित करना।

दीपावली के अवसर पर विभिन्न ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, शपथ-पत्र भरवा कर पटाखे न फोड़ने के लिए लोगो को प्रेरित करना।

➤ संयुक्त रूप से वृक्षारोपण करना।

अनुच्छेद 2 : समझौता की अवधि

यह ज्ञापन दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि से दिनांक 30/06/2023 तक प्रभावी रहेगा। यदि इस समझौता ज्ञापन को बिना किसी कारण के समाप्त किया जाना है, तो किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को तीन (03) माह पूर्व नोटिस देना होगा। समझौता समाप्त हो जाने के उपरान्त कोई भी पक्षकार किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

अनुच्छेद 3 : विशेष प्रावधान

दोनों पक्ष एक-दूसरे की शिक्षा पर उपयोगी सूचनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध कार्य एवं ऐसी अन्य गतिविधियों का आदान-प्रदान करेंगे। दोनों पक्ष सुचारु एवं कुशल कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करेंगे। दोनों पक्ष आपसी परामर्श के लिए उपलब्ध होने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे तथा उचित रूप से अनुरोध किये जाने पर आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।

इस समझौता ज्ञापन में कोई भी संशोधन लिखित रूप में तथा परस्पर सहमत होने पर ही किया जाएगा। सभी विवाद को इस ज्ञापन की व्याख्या तथा क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वालों को आपसी सहमति से बातचीत के माध्यम से सुलझाया जायेगा।

दोनों पक्षकार एक-दूसरे के कुशल संचार निरन्तर स्थापित करते रहेंगे ताकि समझौते का क्रियान्वयन प्रभावी व सुनिश्चित हो सके।

यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में स्थापित कानून के अधीन होगा।

अनुच्छेद 4 : समन्वय

- दोनों पक्षकारों की ओर से समय-समय पर कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी तथा दोनों संस्थानों के मध्य सहयोग को मजबूत करने के तरीकों की पहचान की जाएगी।
- विवादों का निपटारा : सम्बन्धित पक्षों के मध्य कोई मतभेद या विवाद, जो इस समझौता ज्ञापन के प्रावधान की व्याख्या या लागू होने से सम्बन्धित है, प्रथमतः आपसी परामर्श के उच्च अधिकारियों को संदर्भित किया जायेगा। दोनों पक्षकारों के उच्चाधिकारियों का यह संयुक्त उत्तरदायित्व होगा कि वह स्वतंत्रता, आपसी सम्मान की भावना से विवाद को संयुक्त रूप से हल करेंगे।

परिशोधन, बदलाव व संशोधन :

कोई भी पक्षकार लिखित रूप में इस समझौता ज्ञापन का परिवर्धन, परिवर्तन व संशोधन करने का अनुरोध कर सकता है। इस प्रकार के किसी भी परिवर्धन, परिवर्तन व संशोधन पर सहमति पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में होगी और इस समझौता ज्ञापन का

गंगा। ऐसा परिवर्धन, परिवर्तन एवं संशोधन उस तिथि से लागू होगा जो पक्षकारों
निर्धारित की जायेगी।

अनिल
प्राचार्य

श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
जैन नर्सिंग रोड, सांगानेर, जयपुर-29 (राज.)
(डॉ. अनिल कुमार जैन)

प्राचार्य

श्री दि. जै. आ. संस्कृत महाविद्यालय
सांगानेर, जयपुर (राजस्थान)

संजय शारदा
(TRUSTEE)
SARVODAY AHINSA
B-180 MANGAL MARG
BAPU NAGAR, JAIPUR-15
MO. 9509232733

(संजय जैन)

मंत्री

सर्वोदय अहिंसा समिति, जयपुर (राज.)

गवाह : कृष्णदेव शुक्ल

गवाह : वर्षा जैन

हस्ताक्षर



हस्ताक्षर





श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय

ए-4, बापूनगर, जयपुर - 302015 (राज.)

क्रमांक :

दिनांक :

श्रीमान् प्राचार्य महोदय,
श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर (जयपुर)
विषय: MOU की स्वीकृति हेतु।


महोदय,

आपके महाविद्यालय से हमें MOU के सन्दर्भ में पत्र प्राप्त हुआ।

हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि आप हमारी संस्था के साथ विद्यार्थियों के विकास हेतु MOU करना चाहते हैं। निश्चय ही, हम और आप मिलकर विद्यार्थियों के शोधपरक, साहित्यिक और सामाजिक कल्याण में अपना अमूल्य योगदान दे सकेंगे। अतएव हमारी संस्था आपके महाविद्यालय के साथ MOU करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

धन्यवाद!

प्राचार्य
श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय
ए-4, बापूनगर, जयपुर-302015


(डॉ. शांतिकुमार पोद्दील)

श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय,
ए-4, बापू नगर (जयपुर)

श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
सांगानेर जयपुर (राज.)

एवं

श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय
बापू नगर, जयपुर (राज.)

के मध्य शिक्षण, शोध एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में
समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding)

यह समझौता ज्ञापन श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर जयपुर राजस्थान (प्रथम पक्ष) एवं श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय, बापू नगर जयपुर राजस्थान (द्वितीय पक्ष) के मध्य आज दिनांक 3/7/2018 को निष्पादित किया जा रहा है।

श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर (जयपुर) राजस्थान का उद्देश्य भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों के समागत शिक्षार्थियों को स्नातक (शास्त्री) एवं परा स्नातक (आचार्य) आदि का अध्ययन करा कर देश का सशक्त नागरिक तैयार करना, प्राच्य साहित्य का अध्यापन कराना, संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी एवं जैनदर्शन इत्यादि विषयों के विद्वान तैयार करना, परम्परागत संस्कृत का आधुनिक संस्कृत के साथ अध्यापन कराना, विद्यार्थियों को शोध हेतु प्रेरित करना एवं शोध प्रशिक्षक उपलब्ध कराना, भारत में उपलब्ध जैन विद्या सम्बन्धित सामग्री का संकलन, शोध कार्य, भारत और विदेशों में प्रचलित जैन विद्या का तुलनात्मक अध्ययन, उद्देश्यों के अनुरूप परिचर्चा, संगोष्ठी तथा जैन धर्म से सम्बन्धित ग्रन्थों, पांडुलिपियों आदि का पुस्तकालय स्थापित करना इत्यादि। संस्थान के बारे में अधिक जानकारी www.jainsanskritcollege.com के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

द्वितीय पक्ष श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय, बापू नगर, जयपुर राजस्थान है, जो कि एक शैक्षणिक संस्थान है, यह महाविद्यालय छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु कटिबद्ध है। इस महाविद्यालय के छात्र प्रतिवर्ष जैनदर्शन तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु देश-विदेश में जाकर अपना अमूल्य योगदान समाज एवं राष्ट्र को प्रदान करते हैं। यह संस्थान यथा समय संस्कृत, प्राकृत आदि के प्रचार हेतु सेमिनार, गोष्ठी एवं शिविरों का आयोजन करता है। संस्थान के बारे में अधिक जानकारी www.ptst.in पर प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्त दोनों पक्षकार शैक्षिक, शोध एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों आदि हेतु इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से निम्नवत नियमों एवं शर्तों हेतु सहमत हैं।

अनुच्छेद 1 : समझौते का उद्देश्य

समझौते का उद्देश्य जैन धर्म, संस्कृति तथा इससे सम्बन्धित अध्ययन एवं शोध कार्य में अनुसन्धान एवं शिक्षा के अवसर उत्पन्न करना है। सांस्कृतिक कार्यकलापों का विस्तार करना तथा संभावित उद्देश्यपूर्ण सहयोग के लिए संभावनाओं को तलाशना व उनका अनुसरण करना। समझौते के प्रमुख अंग निम्न प्रकार से हैं :

विशेषाधिकार के विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर, जयपुर राजस्थान एवं श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय, बापू नगर, जयपुर राजस्थान के संयुक्त रूप से अनुसन्धान करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना एवं पारस्परिक हित एवं लाभ के कार्यक्रम आयोजित करना। छात्र विनिमय - दोनों पक्षकारों के छात्र विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहमति से MOU के समस्त कार्यों/उद्देश्यों को करना, जो पारस्परिक रूप से दोनों पक्षकारों के लिए हितकारी हो।

विनिमय छात्रों का चयन दोनों पक्षकारों द्वारा परस्पर सहमति से होगा। संकाय विनिमय कार्यक्रम गुरु-शिष्य परम्परा को आयोजित करना, जो पारस्परिक रूप से दोनों पक्षकारों के लिए हितकारी हो। अतः विषय अध्ययन जैन धर्म, संस्कृति तथा इससे सम्बन्धित समस्त अध्ययन व शोध कार्य में पक्षकारों द्वारा एक दूसरे से सहयोग व सहायता प्राप्त करना तथा उपरोक्त की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार करना। अनुसन्धान एवं शिक्षण कार्यक्रमों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करना।

शिक्षण एवं शिक्षण सामग्री और उनके लिए प्रासंगिक अन्य साहित्य पर जानकारी का आदान-प्रदान करना तथा शैक्षिक एवं अनुसन्धान कार्यक्रमों का आयोजन करना।

आपसी सहमति से सतत् दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक शैक्षणिक / शोधपरक कार्यक्रमों का आयोजन करना। उक्त कार्यक्रम हेतु संकायों का आदान-प्रदान करना।

संयुक्त रूप से संगोष्ठियों, सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना तथा इसमें भाग लेने के लिए एक-दूसरे के संकाय को आमंत्रित करना।

वित्त पोषण एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अनुसन्धान या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार संयुक्त रूप से प्रस्तावित करना, प्रतिभाग करने के लिए तथा इसमें भाग लेने के लिए एक दूसरे के संकाय को आमंत्रित करना।

विनिमय करने के लिए, पारस्परिक आधार पर स्नातक, परास्नातक व शोध स्तर पर विद्यार्थियों का शिक्षा और शोध के उद्देश्य के लिए सीमित समयावधि के लिए चयन।

पारस्परिक सहमति से किसी अन्य प्रकार का सहयोग करना, जिसके लिए श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर, जयपुर राजस्थान एवं श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय, बापू नगर, जयपुर राजस्थान के मध्य सहमति बनें।

अनुच्छेद 2 : समझौता की अवधि

यह ज्ञापन दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि से दिनांक 30 जून 2023 तक प्रभावी रहेगा। यदि इस समझौता ज्ञापन को बिना किसी कारण के समाप्त किया जाना है, तो किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को तीन (03) माह पूर्व नोटिस देना होगा। समझौता समाप्त हो जाने के उपरान्त कोई भी पक्षकार किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

3 : विशेष प्रावधान

दोनों पक्ष एक-दूसरे की शिक्षा पर उपयोगी सूचनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध कार्य एवं ऐसी अन्य गतिविधियों का आदान-प्रदान करेंगे। दोनों पक्ष सुचारु एवं कुशल कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करेंगे। दोनों पक्ष आपसी परामर्श के लिए उपलब्ध होने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे तथा उचित रूप से अनुरोध किये जाने पर आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।

इस समझौता ज्ञापन में कोई भी संशोधन लिखित रूप में तथा परस्पर सहमत होने पर ही किया जाएगा। सभी विवाद को इस ज्ञापन की व्याख्या तथा क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वालों को आपसी सहमति से बातचीत के माध्यम से सुलझाया जायेगा।

दोनों पक्षकार एक-दूसरे के कुशल संचार निरन्तर स्थापित करते रहेंगे ताकि समझौते का क्रियान्वयन प्रभावी व सुनिश्चित हो सके।

यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में स्थापित कानून के अधीन होगा।

अनुच्छेद 4 : समन्वय

- प्रत्येक पक्षकार अपनी ओर से अपने शिक्षण/शोध/अनुसन्धान संकाय के एक सदस्य को समन्वयक नियुक्त करेगा। दोनों पक्षकारों की ओर से समय-समय पर कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी तथा दोनों संस्थानों के मध्य सहयोग को मजबूत करने के तरीकों की पहचान की जाएगी।
- विवादों का निपटारा : सम्बन्धित पक्षों के मध्य कोई मतभेद या विवाद, जो इस समझौता ज्ञापन के प्रावधान की व्याख्या या लागू होने से सम्बन्धित है, प्रथमतः आपसी परामर्श के उच्च अधिकारियों को संदर्भित किया जायेगा। दोनों पक्षकारों के उच्चाधिकारियों का यह संयुक्त उत्तरदायित्व होगा कि वह स्वतंत्रता, आपसी सम्मान की भावना से विवाद को संयुक्त रूप से हल करेंगे।


परिशोधन, बदलाव व संशोधन :

कोई भी पक्षकार लिखित रूप में इस समझौता ज्ञापन का परिवर्धन, परिवर्तन व संशोधन करने का अनुरोध कर सकता है। इस प्रकार के किसी भी परिवर्धन, परिवर्तन व संशोधन पर सहमति पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में होगी और इस समझौता ज्ञापन का अंग होगा। ऐसा परिवर्धन, परिवर्तन एवं संशोधन उस तिथि से लागू होगा जो पक्षकारों द्वारा निर्धारित की जायेगी।

योजना :

- श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर, जयपुर राजस्थान एवं श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय, बापू नगर, जयपुर राजस्थान के मध्य नवीन डिजीटल उपकरण के माध्यम से शिक्षण, अध्ययन शोध, तुलनात्मक अध्ययन इत्यादि के लिए सहायता मिलेगी।
- समझौता दोनों संस्थानों के नियमित छात्रों के लिए उपलब्ध होगा।

- दोनों पक्षकार शोध के लिए जैनधर्म, संस्कृति से सम्बन्धित भाषा साहित्य, भाषा प्रौद्योगिकी, साहित्य और इतिहास, अनुवाद प्रौद्योगिकी, तुलनात्मक अध्ययन, प्रवासी साहित्य को अन्तः विषय अध्ययन के रूप में प्रयोग करेंगे।
- परिवर्तनात्मक परियोजना दोनों पक्षकारों के सहयोग से की जायेगी।
- सभी शैक्षणिक, अध्ययन व शोध आदान-प्रदान कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेंगे।
- यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षकारों की स्वयं की इच्छा से, दोनों की आपसी सहमति से बिना किसी दबाव व प्रभाव के दोनों पक्षकारों एवं उनके गवाहों की उपस्थिति में किया गया है।
- यह समझौता ज्ञापन दो समान प्रतियों में तैयार किया गया है, प्रत्येक पक्षकार सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक मूल प्रति धारण करेंगे। यह समझौते का दस्तावेज आज दिनांक को निम्न गवाहों की उपस्थिति में संपादित किया गया।




प्राचार्य

श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
जैन नसियाँ रोड सांगानेर, जयपुर-३२००१५
(डॉ. अनिल कुमार जैन)

प्राचार्य

श्री दि. जै. आ. संस्कृत महाविद्यालय
सांगानेर, जयपुर (राजस्थान)



प्राचार्य

(डॉ. शान्ति जैन सिद्धान्त महाविद्यालय
टोडरमल दि. जै. सिद्धान्त महाविद्यालय
बापू नगर, जयपुर-302015)

श्री टोडरमल दि. जै. सिद्धान्त महाविद्यालय
बापू नगर, जयपुर (राजस्थान)

गवाह :  गवाह : अनिल जैन

हस्ताक्षर 

हस्ताक्षर 

योजना :


- श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर, जयपुर राजस्थान एवं ज्योतिष वेदवेदांग-संस्कृतसंस्थानम्, जयपुर राजस्थान के मध्य नवीन डिजीटल उपकरण के माध्यम से शिक्षण, अध्ययन शोध, तुलनात्मक अध्ययन इत्यादि के लिए सहायता मिलेगी।
- समझौता दोनों संस्थानों के नियमित छात्रों के लिए उपलब्ध होगा।
- दोनों पक्षकार शोध के लिए जैनधर्म, संस्कृति से सम्बन्धित भाषा साहित्य, भाषा प्रौद्योगिकी, साहित्य और इतिहास, अनुवाद प्रौद्योगिकी, तुलनात्मक अध्ययन, प्रवासी साहित्य को अन्तः विषय अध्ययन के रूप में प्रयोग करेंगे।
- परिवर्तनात्मक परियोजना दोनों पक्षकारों के सहयोग से की जायेगी।
- सभी शैक्षणिक, अध्ययन व शोध आदान-प्रदान कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहेंगे।
- यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षकारों की स्वयं की इच्छा से, दोनों की आपसी सहमति से बिना किसी दबाव व प्रभाव के दोनों पक्षकारों एवं उनके गवाहों की उपस्थिति में किया गया है।
- यह समझौता ज्ञापन दो समान प्रतियों में तैयार किया गया है, प्रत्येक पक्षकार सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक मूल प्रति धारण करेंगे। यह समझौते का दस्तावेज आज दिनांक को निम्न गवाहों की उपस्थिति में संपादित किया गया।


प्राचार्य

श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
जैन नृसिंही रोड, सांगानेर, जयपुर-29 (राज.)
(डा. अनिल कुमार जैन)

प्राचार्य

श्री दि. जै. आ. संस्कृत महाविद्यालय
सांगानेर, जयपुर (राजस्थान)


ज्योतिष-वेद वेदांग-संस्कृत संस्थानम्
#2/72, चेतक मार्ग, प्रताप नगर
सांगानेर, जयपुर
(आचार्य कीर्ति शर्मा)

अध्यक्ष


ज्योतिष वेदवेदांग-संस्कृतसंस्थानम्, जयपुर

गवाह : 

हस्ताक्षर



गवाह : हेमन्त कुमार जैन


हस्ताक्षर

श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय
सांगानेर जयपुर (राज.)
एवं

ज्योतिष वेदवेदांग-संस्कृतसंस्थानम्, जयपुर (राज.)
के मध्य शिक्षण, शोध एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में
समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding)

यह समझौता ज्ञापन श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर जयपुर राजस्थान (प्रथम पक्ष) एवं ज्योतिष वेदवेदांग-संस्कृतसंस्थानम्, जयपुर राजस्थान (द्वितीय पक्ष) के मध्य आज दिनांक 9/01/2021 को निष्पादित किया जा रहा है।

श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, सांगानेर (जयपुर) राजस्थान का उद्देश्य भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों के समागत शिक्षार्थियों को स्नातक (शास्त्री) एवं परा स्नातक (आचार्य) आदि का अध्ययन करा कर देश का सशक्त नागरिक तैयार करना, प्राच्य साहित्य का अध्यापन कराना, संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी एवं जैनदर्शन इत्यादि विषयों के विद्वान तैयार करना, परम्परागत संस्कृत का आधुनिक संस्कृत के साथ अध्यापन कराना, विद्यार्थियों को शोध हेतु प्रेरित करना एवं शोध प्रशिक्षक उपलब्ध कराना, भारत में उपलब्ध जैन विद्या सम्बन्धित सामग्री का संकलन, शोध कार्य, भारत और विदेशों में प्रचलित जैन विद्या का तुलनात्मक अध्ययन, उद्देश्यों के अनुरूप परिचर्चा, संगोष्ठी तथा जैन धर्म से सम्बन्धित ग्रन्थों, पांडुलिपियों आदि का पुस्तकालय स्थापित करना इत्यादि। संस्थान के बारे में अधिक जानकारी www.jainsanskritcollege.com के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

द्वितीय पक्ष ज्योतिष वेदवेदांग-संस्कृतसंस्थानम्, जयपुर (राज.) है जिसके माध्यम से ज्योतिष का देश भर में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

उपरोक्त दोनों पक्षकार शैक्षिक, शोध एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों आदि हेतु इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से निम्नवत नियमों एवं शर्तों हेतु सहमत हैं।

अनुच्छेद 1 : समझौते का उद्देश्य

ज्योतिष वेदवेदांग-संस्कृतसंस्थानम्, जयपुर यह ट्रस्ट ज्योतिष शिक्षा से सम्बन्धित कार्य करने के लिए कटिबद्ध है तथा इसके माध्यम से ऑनलाइन/ऑफलाइन ज्योतिषविद्या का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

समझौते के प्रमुख अंग निम्न प्रकार है :

- ज्योतिष विद्या के प्रचार-प्रसार हेतु सेमिनारों का आयोजन करना।
- ज्योतिष विद्या के प्रचार-प्रसार हेतु शिविरों का आयोजन करना।
- विद्यार्थियों को ज्योतिष का प्रायोगिक ज्ञान प्रदान करना।
- इन्टरनेट के माध्यम से विद्यार्थियों में ज्योतिष के प्रति अनुसन्धान की भावना उत्पन्न करना एवं उन्हें अनुसन्धान करने के लिए प्रेरित करना।

अनुच्छेद 2 : समझौता की अवधि

यह ज्ञापन दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि से दिनांक 30 जून 2024 तक प्रभावी रहेगा। यदि इस समझौता ज्ञापन को बिना किसी कारण के समाप्त किया जाना है, तो किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को तीन (03) माह पूर्व नोटिस देना होगा। समझौता समाप्त हो जाने के उपरान्त कोई भी पक्षकार किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

अनुच्छेद 3 : विशेष प्रावधान

दोनों पक्ष एक-दूसरे की शिक्षा पर उपयोगी सूचनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध कार्य एवं ऐसी अन्य गतिविधियों का आदान-प्रदान करेंगे। दोनों पक्ष सुचारु एवं कुशल कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करेंगे। दोनों पक्ष आपसी परामर्श के लिए उपलब्ध होने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे तथा उचित रूप से अनुरोध किये जाने पर आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।

इस समझौता ज्ञापन में कोई भी संशोधन लिखित रूप में तथा परस्पर सहमत होने पर ही किया जाएगा। सभी विवाद को इस ज्ञापन की व्याख्या तथा क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वालों को आपसी सहमति से बातचीत के माध्यम से सुलझाया जायेगा।

दोनों पक्षकार एक-दूसरे के कुशल संचार निरन्तर स्थापित करते रहेंगे ताकि समझौते का क्रियान्वयन प्रभावी व सुनिश्चित हो सके।

यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में स्थापित कानून के अधीन होगा।

अनुच्छेद 4 : समन्वय

- प्रत्येक पक्षकार अपनी ओर से अपने शिक्षण/शोध/अनुसन्धान संकाय के एक सदस्य को समन्वयक नियुक्त करेगा। दोनों पक्षकारों की ओर से समय-समय पर कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी तथा दोनों संस्थानों के मध्य सहयोग को मजबूत करने के तरीकों की पहचान की जाएगी।
- विवादों का निपटारा : सम्बन्धित पक्षों के मध्य कोई मतभेद या विवाद, जो इस समझौता ज्ञापन के प्रावधान की व्याख्या या लागू होने से सम्बन्धित है, प्रथमतः आपसी परामर्श के उच्च अधिकारियों को संदर्भित किया जायेगा। दोनों पक्षकारों के उच्चाधिकारियों का यह संयुक्त उत्तरदायित्व होगा कि वह स्वतंत्रता, आपसी सम्मान की भावना से विवाद को संयुक्त रूप से हल करेंगे।

परिशोधन, बदलाव व संशोधन :

कोई भी पक्षकार लिखित रूप में इस समझौता ज्ञापन का परिवर्धन, परिवर्तन व संशोधन करने का अनुरोध कर सकता है। इस प्रकार के किसी भी परिवर्धन, परिवर्तन व संशोधन पर सहमति पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में होगी और इस समझौता ज्ञापन का अंग होगा। ऐसा परिवर्धन, परिवर्तन एवं संशोधन उस तिथि से लागू होगा जो पक्षकारों द्वारा निर्धारित की जायेगी।

श्रीमान् प्राचार्य महोदय,
श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय,
सांगानेर (जयपुर)

विषय : MOU की स्वीकृति हेतु।

महोदय,

आपके महाविद्यालय से हमें MOU के सन्दर्भ में पत्र प्राप्त हुआ।

हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि आप हमारी संस्था के साथ विद्यार्थियों के विकास हेतु MOU करना चाहते हैं। निश्चय ही, हम और आप मिलकर विद्यार्थियों के ज्योतिष संबंधी अध्ययन-अध्यापन को सतत् बढ़ाएँगे।

अतएव हमारी संस्था आपके महाविद्यालय के साथ MOU करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

भवदीय

१/१२

ज्योतिष-वेद वेदांग-संस्कृत संस्थानम्
१२/७२, चेतक मार्ग, प्रताप नगर
सांगानेर जयपुर

(आचार्या कीर्ति शर्मा)

अध्यक्ष

ज्योतिष वेदवेदांग-संस्कृतसंस्थानम्, जयपुर